इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2013—श्रावण 3, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2013

क्र. एफ. 27-56-2012-बीस-2.—प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा ''राज्य शिक्षा सेवा'' (State Education Services) का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है.

2. राज्य शिक्षा सेवा के गठन के फलस्वरूप पूर्व से स्वीकृत पदों को समायोजित करते हुए नवीन पद संरचना निम्नानुसार रहेंगी:—

क्र.	पदों का विवरण	वर्तमान संरचना में पद संख्या	नवीन संरचना में स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ए.ई.ओ.	-	3286 ए.ई.ओ.	3286 पदों के विरुद्ध बी.ई.ओ. के 313, बी.आर.सी. के 322 एवं जन शिक्षक के 880 पदों को इनमें समायोजित करने पर कुल 1771 नवीन पद स्वीकृत होंगे.
2	प्राचार्य, हाईस्कूल	4640	4640	-
3	प्राचार्य, उ.मा.वि.	2660	2660	-
4	सहायक संचालक	94	450	जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान के 50 पद, सहायक संचालक के पूर्व से स्वीकृत 94 पद, 16 एक्सकेडर पद, इस प्रकार 160 पद इस संवर्ग में उपलब्ध है. अतः इस संवर्ग के 290 नवीन पद स्वीकृत होंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	उप संचालक	50	96	पूर्व के 50 पद, एक्सकेडर के 14 पद एवं पदोन्नयन के 14 पद, इस प्रकार कुल 78 पद स्वीकृत हैं. अत: शेष 18 नवीन पद स्वीकृत होंगे.
6	संयुक्त संचालक	19	24	पूर्व के 19 एवं एक्सकेडर के 5 पद होंगे.
7	अपर संचालक	02	07	पूर्व के 02 पद एवं एक्सकेडर के 05 पद होंगे.
8	संचालक	02	03	संचालक, सीमेट (राज्य शिक्षा केन्द्र) अन्तर्गत 01 पद एक्सकेडर का होगा.

3. विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों की संरचना, पदीय दायित्व/कार्य का विवरण निम्नलिखित अनुसार रहेगा:—

(1) **उप विकासखण्ड स्तर की पद संरचना-प्राचार्य, उ.मा.वि. (संकुल)+ए.ई.ओ. कार्यालय**

क्र. (1)	वर्तमान पद संरचना (2)	स्वीकृत नवीन पद संरचना (3)	रिमार्क (4)	कार्य (5)
1	प्राचार्य उ.मा.वि.-1	प्राचार्य उ.मा.वि.-1	वेतनमान 15600-39000+5400	**प्राचार्य के कार्य** 1. अधिनस्थों की सेवा-पुस्तिका का संधारण. 2. अभिलेखों का संधारण.
2.	—''—	ए.ई.ओ-1 (एरिया एज्यूकेशन आफिसर) 2660 पद प्रत्येक संकुल पर 1 पद.	वेतनमान 9300-34800+3600	3. अवकाश स्वीकृति. 4. वित्तीय, प्रशासकीय एवं अकादमिक कार्य.
3.	जन शिक्षक-2 कुल 6200 पद (18 स्कूल पर 1 पद).	जन शिक्षक-2 कुल 5320 पद (21 स्कूल पर 1 पद).	जन शिक्षक के 880 पद ए.ई.ओ. में समायोजित होंगे.	
4.	लेखापाल-1	लेखापाल-1	समेकित छात्रवृत्ति के लिए पृथक् से (पद स्वीकृत होने पर).	**ए.ई.ओ. के कार्य** 1. प्रत्येक ए.ई.ओ. को 40 से 50 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की मॉनिटरिंग का कार्य.
5	लेखापाल-1	लेखापाल-1	आर.टी.ई. अन्तर्गत कुल पद 2208 (50 शालाओं पर 1 पद).	2. ए.ई.ओ. प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अकादमिक मॉनिटरिंग एवं अन्य कार्य. 3. विकासखण्ड स्तरीय सहायक संचालकों को रिर्पोटिंग. 4. ए.ई.ओ. का कार्य प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों के अवकाश आवेदन पत्र एवं उपस्थिति पत्रक को अग्रेषित करना होगा. 5. ए.ई.ओ. अपने अधीनस्थ प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए आहरण संवितरण अधिकारी होंगे तथा उन्हें इन शालाओं के शिक्षकों के अवकाश आदि के स्वीकृति के अधिकार होंगे.

(2) विकासखण्ड स्तर की पद संरचना-सहायक संचालक (शिक्षा)

क्र. (1)	वर्तमान पद संरचना (2)	स्वीकृत नवीन पद संरचना (3)	रिमार्क (4)	कार्य (5)
1	-	सहायक संचालक-1	वेतनमान 15600-39000+5400	1. प्राचार्य, उमावि/हाई स्कूल की सेवा-पुस्तिका संधारण. 2. अभिलेखों का संधारण. 3. अवकाश स्वीकृति. 4. वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्य. 5. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का कार्य. 6. निर्माण कार्य 7. योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, क्रियान्वयन एवं संचालन. 8. उप संचालक को रिर्पोटिंग.
2	बी.ई.ओ.-1	ए.ई.ओ. (एस.ई.)-1	वेतनमान 9300-34800+3600	
3	बी.आर.सी.-1	ए.ई.ओ. (ई.ई.)-1	वेतनमान 9300-34800+3600	

(3) जिला स्तर की पद संरचना-उप संचालक (शिक्षा)

क्र. (1)	वर्तमान पद संरचना (2)	स्वीकृत नवीन पद संरचना (3)	रिमार्क (4)	कार्य (5)
1	उप संचालक-1	उप संचालक-1	वेतनमान 15600-39000+6600	1. सहायक संचालक एवं अधिनस्थों की सेवा-पुस्तिका का संधारण. 2. अभिलेखों का संधारण. 3. अवकाश स्वीकृति. 4. वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्य. 5. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का कार्य. 6. निर्माण कार्य. 7. योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, क्रियान्वयन एवं संचालन. 8. संयुक्त संचालक को रिपोर्टिंग. 9. बजट नियंत्रण. 10. अशासकीय संस्थाओं को मान्यता. 11. खेल प्रतियोगिता का आयोजन. 12. जिले की वार्षिक योजना तैयार करना. 13. छात्रवृत्ति एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण.
2	सहा. संचालक-1	सहा. संचालक (एस.ई.)-1	वेतनमान 15600-39000+5400	
3	जिला परियोजना समन्वयक-1	सहा. संचालक (ई.ई.)-1	वेतनमान 15600-39000+5400	

(4) संभाग स्तर की पद संरचना-संयुक्त संचालक (शिक्षा)

क्र.	वर्तमान पद संरचना	स्वीकृत नवीन पद संरचना	रिमार्क	कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक-1	संयुक्त संचालक-1	वेतनमान 15600-39000+7600	1. उप संचालक एवं अधिनस्थों की सेवा-पुस्तिका का संधारण. 2. अभिलेखों का संधारण. 3. अवकाश स्वीकृति. 4. वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्य. 5. प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का कार्य. 6. निर्माण कार्य. 7. योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, क्रियान्वयन एवं संचालन. 8. संचालनालय (सी.पी.आई एवं सी.आर. एस.के.) को रिपोर्टिंग. 10. अशासकीय संस्थाओं को मान्यता की समीक्षा. 11. खेल प्रतियोगिता का आयोजन में समन्वय.
2	सहायक संचालक-3	उप संचालक (एस.ई.)-1 उप संचालक (ई.ई.)-1	वेतनमान 15600-39000+6600	

(5) राज्य स्तर की पद संरचना-आयुक्त लोक शिक्षण

क्र.	वर्तमान पद संरचना	पद संख्या	आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अन्य कार्यालय के लिए एक्स कैडर के पद	कुल पद	स्वीकृत नवीन पद संरचना	पद संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक	2	1	3	संचालक	3	संचालक सीमेट, राज्य शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत 01 पद एक्सकेडर का होगा.
2	अपर संचालक	2	6	8	अपर संचालक	8	अपर संचालक ओपन स्कूल 01 पद, 05 पद राज्य शिक्षा केन्द्र, कुल 06 पद एक्सकेडर के होंगे.
3	संयुक्त संचालक	7	5	12	संयुक्त संचालक	12	संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन 03 पद, मदरसा एवं संस्कृत संस्थान 1-1 पद, कुल 05 पद एक्सकेडर के होंगे.
4	उप संचालक	4	14	18	उप संचालक	28	क्रमांक 5 के 10 पदों का पदोन्नयन एवं 14 पद एक्सकेडर के होंगे (ओपन स्कूल, संस्कृत संस्थान के लिए एक-एक एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के लिए 03 एवं 09 पद राज्य शिक्षा केन्द्र के लिए, कुल 14 पद).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	सहायक संचालक	21	12	33	सहायक संचालक	23	10 पदों का क्रमांक 4 में पदोन्नयन एवं 12 पद एक्सकेडर के होंगे (04 पद ओपन स्कूल एवं 08 पद राज्य शिक्षा केन्द्र के लिए, कुल 12 पद).

4. "**राज्य शिक्षा सेवा**" के अन्तर्गत सहायक संचालक, लोक शिक्षण एवं प्राचार्य हाई स्कूल के लिए अर्हता, आयु, वेतनमान, परिवीक्षा अवधि, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, संवर्ग में पदों की संख्या एवं सावधि कार्य मूल्यांकन आदि निम्नलिखित अनुसार रहेगा:—

(1) **राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों की अर्हता:**—(अ) **सहायक संचालक लोक शिक्षण**—(सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी.)

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि.
(2) शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी.एड. अथवा समकक्ष उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य हो.)

(ब) **प्राचार्य हाईस्कूल:**—(सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा की जाएगी.)

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि.
(2) शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बी.एड. अथवा समकक्ष उपाधि) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य हो.
(3) मध्यप्रदेश शासन के विद्यालयों में कार्यरत् शासकीय व्याख्याता उ.मा.वि. एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक के पद का न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव.

(2) **वेतनमान** :—(अ) सहायक संचालक, लोक शिक्षण —15600-39100+5400 (ग्रेड-पे)
(ब) प्राचार्य हाईस्कूल :— 9300-34800+4200 (ग्रेड-पे)

(3) **आयु** :—(अ) सहायक संचालक, लोक शिक्षण-न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर उच्चतम आयु सीमा में दी गई छूट यथावत लागू रहेगी.

(ब) प्राचार्य, हाईस्कूल—विभाग में पूर्व से कार्यरत व्याख्याता शा.उ.मा.वि. एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक के चयन से पदपूर्ति होगी. इसके लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा.

(4) **पदपूर्ति की प्रक्रिया** :—राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों की पदपूर्ति प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार रहेगी:—

(अ) सीधी भर्ती से पदपूर्ति—

क्र.	पदनाम	कुल पदों का प्रतिशत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सहायक संचालक, लोक शिक्षण	50	संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पूर्व से उपलब्ध 94 पदों को छोड़कर प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर 1-1 अतिरिक्त पद इस प्रकार 313 पद प्रत्येक उप संचालक एवं संयुक्त संचालक कार्यालय में 1-1 अतिरिक्त पद तथा राज्य शिक्षा केन्द्र में 8 पद इस प्रकार कुल 450 पद.

(ब) चयन द्वारा पदपूर्ति—

क्र.	पदनाम	कुल पदों का प्रतिशत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्राचार्य, हाईस्कूल	100	"**राज्य शिक्षा सेवा**" अन्तर्गत प्राचार्य हाईस्कूल के 25 प्रतिशत पद स्थानीय निकाय संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक में से सीमित परीक्षा के द्वारा भरे जायेंगे.

(स) पदोन्नति द्वारा पदपूर्ति—

क्र.	पद जिससे पदोन्नति की जाना है	पद जिस पर पदोन्नति की जाना है	कुल पदों का प्रतिशत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	व्याख्याता उमावि ए.ई.ओ.	प्राचार्य, हाईस्कूल	75	50 प्रतिशत पद व्याख्याता उमावि के पदोन्नति से एवं 25 प्रतिशत पद ए.ई.ओ. की पदोन्नति से वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे.
2	प्राचार्य, हाईस्कूल	प्राचार्य, हायर सेकेण्डरी	100	पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी.
3	प्राचार्य, हायर सेकेण्डरी	सहायक संचालक, लोक शिक्षण.	50	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद सहायक संचालक, लोक शिक्षण के पदों की गणना में सम्मिलित रहेंगे. पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी.
4	सहायक संचालक, लोक शिक्षण.	उप संचालक, लोक शिक्षण.	100	पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी.
5	उप संचालक, लोक शिक्षण.	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण.	100	योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर.
6	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण.	अपर संचालक, लोक शिक्षण.	100	योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर.
7	अपर संचालक, लोक शिक्षण.	संचालक, लोक शिक्षण.	100	वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार चयन के माध्यम से.

(5) **राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि.**—"राज्य शिक्षा सेवा" के सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक संचालक, लोक शिक्षण की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी तथा सीमित परीक्षा के माध्यम से चयनित प्राचार्य, हाईस्कूल की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी. परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार गतिविधियां सम्मिलित रहेंगी :—

(अ) **सहायक संचालक लोक शिक्षण.**—(1) एक वर्ष का प्रवेश प्रशिक्षण (Induction Training) इस अवधि में शैक्षिक प्रबंधन (Educational Management) में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षणार्थी का पंजीयन होगा. उक्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा होगा. इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र की योग्यता भी प्राप्त कर सकेंगे.

(2) सीमेट (SIEMAT) या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण (Leadership Training) सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण होने पर Project Implementation Module भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जायेगा.

(3) परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी. परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिये संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी. इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी.

(ब) प्राचार्य हाईस्कूल .—(1) एक वर्ष का प्रवेश प्रशिक्षण (Induction Training)- इस अवधि में शैक्षिक प्रबंधन (Educational Management) में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रशिक्षणार्थी का पंजीयन होगा. उक्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा होगा. इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र की योग्यता भी प्राप्त कर सकेंगे.

(2) सीमेट (SIEMAT) या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठिता प्रबंधन संस्थान से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण (Leadership Training) सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण होने पर Project Implementation Module भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जायेगा.

(3) परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी. परन्तु यह पदस्थापना अनिवार्यत: ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे हाईस्कूल में होगी जिनमें नामांकन 180 से कम हो. परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिये संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी. इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित (repatriate) कर दिया जायेगा.

(6) **पदों का अनुपात** .—"**राज्य शिक्षा सेवा**" के पदों में सीधी भर्ती, चयन एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की चयन प्रक्रिया एवं पदों का अनुपात निम्नलिखित अनुसार होगा:—

(1) "**राज्य शिक्षा सेवा**" अन्तर्गत प्राचार्य हाईस्कूल के प्राचार्य हाईस्कूल के उपलब्ध रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद व्याख्याता उमावि. के पदोन्नति से 25 प्रतिशत पद स्थानीय निकायों के वरिष्ठ अध्यापकों में से सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन के द्वारा एवं 25 प्रतिशत ए.ई.ओ. में से पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे.

(7) **चयन प्रक्रिया का अंतराल** .—(1) सहायक संचालक, के सीधी भर्ती के अन्तर्गत रिक्त पद "राज्य संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा" के माध्यम से भरे जायेंगे.

(2) प्राचार्य, हाईस्कूल के पदों की पूर्ति के लिये प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सीमित चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी.

(8) **संवर्ग में पदों की संख्या.**—"राज्य शिक्षा सेवा" के सीधी भर्ती के संवर्ग में पदों की संख्या निम्नानुसार होगी:—

क्र. (1)	संवर्ग का नाम (2)	पदों की संख्या (3)	रिमार्क (4)
1	सहायक संचालक, लोक शिक्षण.	450	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद सहायक संचालक, लोक शिक्षण के पदों की गणना में शामिल रहेंगे.
2.	प्राचार्य, हाईस्कूल	4640	-

सहायक संचालक संवर्ग में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदों को शामिल करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष पृथक् से विचाराधीन है. अतः इस संवर्ग की पद संख्या में वृद्धि संभावित है. सीधी भर्ती की प्रक्रिया में वर्तमान में रिक्त पद ही शामिल होंगे.

(9) **सावधि कार्य मूल्यांकन** (Periodic Performance Appraisal) "राज्य शिक्षा सेवा" के प्राचार्य, हाईस्कूल एवं प्राचार्य, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा "अधीनस्थ शिक्षा सेवा" के ए.ई.ओ. के कार्य मूल्यांकन के लिये प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार विभागीय स्तर पर सीमित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. इस मूल्यांकन में संबंधित अधिकारी के उपलब्धि स्तर को भी विचार में लिया जाएगा. यदि कोई अधिकारी सतत् दो बार के मूल्यांकन में अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन नहीं करता है तो उसे उनके मूल पद (ठीक पिछले पद) पर वर्तमान पद के वेतन का संरक्षण देते हुए वापिस कर दिया जायेगा.

(10) **रिफ्रेशर कोर्स:**— "राज्य शिक्षा सेवा" तथा "अधिनस्थ शिक्षा सेवा" के सभी अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जायेगा, जिसमें तीन वर्ष में एक बार सभी अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य होगा. यह कोर्स नेतृत्व कौशल, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर आधारित होंगे.

5. "**अधीनस्थ शिक्षा सेवा**" के अन्तर्गत ए.ई.ओ. (एरिया एजुकेशनर आफिसर) के लिए अर्हता, आयु, वेतनमान, परिवीक्षा अवधि, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, संवर्ग में पदों की संख्या एवं सावधि कार्य मूल्यांकन आदि निम्नलिखित अनुसार रहेगा:—

(1) **अर्हता** :—ए.ई.ओ. के पद पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा. अर्हता निम्नानुसार होगी :—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.

(2) शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.)/प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता.

(3) मध्यप्रदेश शासन के विद्यालयों में कार्यरत् शासकीय शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक)/ स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक के पद का न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव.

(2) **वेतनमान**:—ए.ई.ओ. रुपए 9300-34800+3600 (ग्रेड-पे)

(3) **आयु** :— ए.ई.ओ. के पद पर विभाग में पूर्व से कार्यरत प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक के चयन से पदपूर्ति होगी. इसके लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा.

(4) **अधीनस्थ शिक्षा सेवा के अधिकारियों की चयन द्वारा पदपूर्ति प्रक्रिया :—**

क्र.	पद नाम	कुल पदों का प्रतिशत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए.ई.ओ.	100	"अधीनस्थ शिक्षा सेवा" (Subordinate Education Service) के सभी पद शासकीय विभागीय प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक में से सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन के द्वारा भरे जायेंगे.

(5) **परिवीक्षा अवधि** :—''अधीनस्थ राज्य सेवा'' के चयनित अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी. परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार गतिविधियाँ सम्मिलित रहेंगी :—

(1) एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण (Leadership Training) जिसमें परियोजना प्रबंधन (Project Management) एवं विद्यालय प्रशासन के बिन्दु शामिल होंगे. यह प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा.

(2) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर चयनित अधिकारी की नियमित पदस्थापना की जायेगी. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष के लिए संबंधित अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जायेगी. इसके बावजूद भी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित (repatriate) कर दिया जायेगा.

6. **व्याख्याता/अध्यापक संवर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना** .—राज्य शिक्षा सेवा के गठन के उपरांत राज्य शिक्षा सेवा में चयन से वंचित होने वाले शासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं को पदोन्नति के कम अवसर उपलब्ध होंगे. इसी प्रकार स्थानीय निकाय के वरिष्ठ अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा में कम पदों पर आने का अवसर प्राप्त होगा. इसे दृष्टिगत रखते हुए इन्हें प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति योजना के उपरांत 30वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत विशेष प्रोत्साहन अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतनमान निम्नानुसार दिया जाएगा:—

(1) व्याख्याता उमावि - 15600-39100+5400 ग्रेड-पे

(2) वरिष्ठ अध्यापक - 6500-250-11500

7. राज्य शिक्षा सेवा के अन्तर्गत उल्लेखित उक्त पदों के अतिरिक्त पूर्व से स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारियों के पद यथावत रहेंगे.

8. उक्त आदेश के अनुक्रम में विभागीय भरती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.